POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 17.03.2025

थाना सेक्टर-58 पुलिस द्वारा फर्जी वेबसाइट बनाकर भारतीय तटरक्षक बल (ICG) की भर्ती प्रक्रिया में धोखाधड़ी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- थाना सेक्टर-58, पुलिस व साईबर टीम द्वारा दिनांक **17.03.2025** को भारतीय तटरक्षक बल (Indian Coast Guard & ICG) की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट की नकल कर फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों को ठगने वाले अभियुक्त गौरव सिंह पुत्र बहादुर सिंह, निवासी गाँव नानपुर, थाना किरावली, जनपद आगरा को पूछताछ के दौरान थाना सेक्टर-58 से हिरासत में लिया गया है।

घटनाक्रम-- भारतीय तटरक्षक बल द्वारा साइबर क्राइम सेल, थाना सेक्टर-58, नोएडा गौतमबुद्धनगर को सूचित किया गया था कि उनकी आधिकारिक भर्ती वेबसाइट की नकल कर एक फर्जी वेबसाइट बनायी गयी थी।

उक्त शिकायत के आधार पर थाना सेक्टर-58 में मुकदमा अपराध संख्या 78/24 धारा 420 भादवि व 66डी आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान प्रकाश में आया कि अभियुक्त गौरव सिंह पुत्र बहादुर सिंह ने अपनी ई-मेल आईडी gouravsingh2333@gmail-com का उपयोग कर और मोबाइल नंबर से फर्जी डोमेन खरीदकर उक्त वेबसाइट बनाई थी। मामले में साक्ष्यो के आधार पर अभियोग में धारा 467/468/471 भादवि की वृद्धि की गई है। इस प्रकरण की अग्रिम जांच गहनता से की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-- पूछताछ पर अभियुक्त ने बताया कि वह पहले कोस्टगार्ड की तैयारी करता था उसने कई बार परीक्षा दी थी उसका सलेक्शन नही हो पाया अब वह ओवर ऐज हो गया था। उसने बताया कि मैने कोस्टगार्ड की फर्जी वेबसाई आधिकारिक भर्ती वेबसाइट https://joinindiancoastguard-cdac-in/ की नकल कर एक फर्जी वेबसाइट https://joinindiancoastguard-cdac-co-in बनायी मैने इसको ऑन लाईन किया जैसे ही ऑन किया कुछ दिन यह वेबसाईट बन्द हो गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

अभियुक्त गौरव सिंह पुत्र बहादुर सिंह, निवासी गाँव नानपुर, थाना किरावली, जनपद आगरा

पंजीकृत अभियोग--

मु0अ0सं0- 78/2024 धारा 420, 467, 468, 471 भादवि व 66 डी आईटी एक्ट थाना सेक्टर-58, नोएडा

बरामदगी का विवरण--

एक मोबाइल फोन (वन प्लस 80, रंग ग्रीन,)